अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

2025/225 निधि बनाम राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम वगैरह

पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख आदेश जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
	2025/462 श्री मृणाल शर्मा	
26.11.2025	निधि बनाम राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम वगैरह (2025/462) पत्रावली पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट को प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुना गया। अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र स्थगन बाबत निवेदन किया कि प्रार्थीया/अपीलांट वादग्रस्त भूमि की रिकार्डेड खातेदार है जिसकी भूमि में उसकी अनुमति बिना अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर भूमि को खुर्द-बुर्द कर गैर-कृषि उपयोग में परिवर्तित करने एवं मटान बनाकर उस पर हाईटेंशन लाईन 132 के0वी0 को डालने पर अप्रार्थीगण/रेस्पोडेन्टस आमादा है जिनका उनको कोई विधिक अधिकार प्राप्त नही है क्योंकि खातेदार की भूमि को बिना अवाप्त किये व क्षति पूर्ति के रूप में मुआवजा दिये अवार्ड पारित किये गैर-कृषि उपयोग में जबरन प्रवेश कर खुर्द-बुर्द करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है जिससे प्रथम दृष्टया प्रकरण व सुविधा का संतुलन प्रार्थीया/अपीलांट के पक्ष में है और ताफैसला अपील अप्रार्थीगण/रेसपोडेंट को स्टे/स्थगनसे पावंद नहीं किया गया तो खेती की जगीन को खुर्द-बुर्द कर अनुपजाउ बना देंगे जिससे प्रार्थीया/अपीलांट का अपूर्तनीय क्षति होगी और उसके हितो पर कुठाराघात होगा तथा विचाराधीन अपील का औचित्य ही समाप्त हो जावेगा जो कि न्याय की मंशा नहीं है। अतः न्यायहित में प्रार्थना पत्र स्टे/स्थगन स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट व उनके कर्मचारी, सहयोगी, एजेन्ट, एसाईनीज आदि को अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैसला अपील पावंद किया जावे कि वाके ग्राम पालरा भू-अभिलेख निरीक्षक परवतपुरा तहसील व जिला अजमेर स्थित भूमि खाता संख्या 964 व नया व 784 पुराना के खसरा नम्बर 1704 का रकबा 0.1900 हैक्टेयर किस्म बारानी एवं खसरा संख्या 4393/1705 का रकबा 0.0100 हैक्टेयर खातेदारी की भूमि में प्रवेश कर उसे खुद-बुर्द व किसी भी प्रकार से गैर-कृषि उपयोग के लिए कोई निर्माण आदि नहीं किये जाने के समुचित आदेश प्रदान कर अनुग्रहित करें। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र स्थगन पर की गई बहस पर मनन किया एवं प्रार्थना पत्र स्थगन, अपील का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन हमने पाया कि अपीलांट द्वारा दिनांक 17.09.2025 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया गया, जिसे दिनांक 17.09.2025 को दर्ज कर अप्रार्थीगण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये जाने का आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट द्वारा अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की गई। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विचाराधीन है, जिसका अंतिम निस्तारण नहीं किया गया है। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस जारी किये जाने के विरूद्ध न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत की गई है। अपीलांट इस स्तर पर स्थगन की अतिआवश्यक्ता साबित करने में असफल रहे है। अपीलांट को स्थगन आदेश प्राप्त करने बाबत कार्यवाही अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष की जानी चाहिए क्योकि जो अनुतोष अपीलांट अपील के माध्यम से प्राप्त करना चाहता है वह अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित है। अतः अपील अपीलांट इसी स्तर पर खारिज योग्य प्रतीत होती है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो। राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	

Scanned with CamScanner

न्यायालय माननीय राजस्व अपील अधिकारी अजमेर

अपील संख्या– 462 /2025 जिला अजमेर।

2025/462

श्रीमति निधि अग्रवाल पत्नि श्री आनन्द अग्रवाल निवासी–32, लाजरस लेन, क्रिश्चियन गंज, अजमेर तहसील व जिला अजमेर।

.....प्रार्थिया/अपीलान्ट

बनाम

1/ राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड जरिये प्रबन्धक निदेशक, विद्युत भवन, जनपथ ज्योति नगर, लालकोठी, जयपुर।

2/ राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड जरिये वरिष्ठ अधिशासी अभियन्ता, विद्युत भवन, ई–11, लोहागल रोड, शास्त्री नगर, अजमेर।

.....अप्रार्थीगण/रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश दिनांक 17/09/2025, पारित द्वारा उपखण्ड अधिकारी जी अजमेर, प्रकरण संख्या–74/2025,उनवान–निधि अग्रवाल बनाम राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड व अन्य।

महोदय,

Nidhi

प्रार्थिया/अपीलान्ट की ओर से नीचे लिखे अनुसार सादर निवेदन है कि:–

Scanned with CamScanner